अपील / एलआर /3603/ 2003/ जिला जोधपुर
जवानसिंह बनाम सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
18–2–2025	**एकल–पीठ** **श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य** **उपस्थित :** श्री जी.एस.लखावत, अभिभाषक अपीलार्थी । श्री शिव प्रकाश चौधरी, उप राजकीय अभिभाषक **आदेश** 1– हस्तगत् अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा–76 के अंतर्गत न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 3–7–03 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। 2– अपील ज्ञापन के अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है अपीलार्थी ने एक प्रार्थना पत्र राजस्व अभियान में न्यायालय उपखंड अधिकारी जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सहायक कलेक्टर जोधपुर ने अपने आदेश दिनांक 2–1–79 के द्वारा ग्राम पीठासीनी में स्थिति वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 157, 47, 54, 58, 181, 182, 183, 204, 212, 230, 167, 210 कुल रकबा 168 बीघा 12 बिस्वा भूमि अपीलार्थी की खातेदारी काश्तकारी की होना मानते हुये राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार अंकित किये जाने का आदेश प्रदान किया था। सहायक कलेक्टर जोधपुर के आदेश दिनांक 2–1–79 की पालना में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का निवेदन किया। जिसे उपखंड अधिकारी जोधपुर ने अपने निर्णय दिनांक 13–7–02 से खारिज कर दिया। जिसके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त जोधपुर की समक्ष अपील पेश की। जिसे अति0 संभागीय आयुक्त जोधपुर ने निर्णय दिनांक 3–7–03 द्वारा खारिज कर दी। जिससे व्यथित होकर यह निगरानी मंडल में प्रस्तुत की गई है। 3– विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी ज्ञापन में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में कहा कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय नियम व कानून के विरूद्ध है। सहायक कलेक्टर जोधपुर ने अपीलार्थी को निर्णय दिनांक 2–1–79 द्वारा वादग्रस्त भूमि का खातेदार मानते हुये राजस्व रिकार्ड में अमल किये जाने का आदेश दिया था। उक्त आदेश की इजराय हेतु आवेदन पत्र अपीलार्थी ने विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था। इजराय न्यायालय के आदेश की पालना सुनिश्चित करवानी थी। कानूनन इजराय न्यायालय को मूल आदेश के बाहर जाने एवं अन्यथा कार्य करने का कोई अधिकार नहीं है। सहायक कलेक्टर के निर्णय दिनांक 2–1–79 को सरकार द्वारा चुनौती नहीं दी गई है जिससे वह अंतिम हो चुका है। इजराय के दौरान किसी प्रकार की आपत्ति नही उठाई जा सकती। अति0 तहसीलदार लूणी का आदेश दिनांक 16–6–92 इजराय प्रार्थना पत्र के लिये किसी प्रकार से बाधक नहीं है, न ही वह रेसज्यूडीकेटा से बाधित करता है। अधीनस्थ विचारण न्यायालय को सक्षम न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना सुनिश्चित करनी थी, पक्षकारों के अधिकार बाबत् कोई निर्णय पारित नहीं करना था। तहसीलदार द्वारा पूर्व में जो इजराय प्रार्थना पत्र पर की गई टिप्पणी पर अपीलार्थी को किसी प्रकार की कार्यवाहीं की आवश्यकता नहीं थी, टिप्पणी में अंकित कमी को दूर कर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, जो विधिसम्मत् था। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	का आधार उक्त टिप्पणी को त्रुटिपूर्ण बनाया है। उक्त समस्त महत्वपूर्ण बिन्दुओं को दोनों अधनीस्थ न्यायालयो ने नजरअदांज करते हुये गैर कानूनी रूप से तथा विधिक प्रावधानों को समझे बिना ही अपीलार्थी का इजराय प्रार्थना पत्र खारिज किया है। अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाकर निगरानी स्वीकार की जावे। 4— विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने उपरोक्त तथ्यों का विरोध करते हुये कहा कि पूर्व में नामांतरकरण सं. 75 खारिज किया जा चुका है उसके विरूद्ध कोई आपील दायर नहीं की गई। विवादित आराजी राजकीय भूमि है तथा अपीलार्थी अतिक्रमी की हैसियत से काबिजकाश्त है। मामले में रेसज्यूडीकेटा लागू होता है। विवादित आराजी के कुछ हिस्से में रास्ता दर्ज है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निर्णयों में क्षेत्राधिकार सम्बन्धी अथवा विधिक या तथ्यपरक ऐसी कोई त्रुटि नहीं है जिसके आधार पर निगरानी के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप किया जा सके। अतः निगरानी चलने योग्य नहीं है। 5— उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन किया । 6— पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि नायब तहसीलदार द्वितीय जोधपुर की रिपोर्ट दिनांक 17—11—78 के अनुसार अपीलार्थी के पास पूर्व में ही खातेदारी की भूमि क्रमशः 140 बीघा, 36.10 बीघा, 59 बीघा, 75.03 बीघा, 90 बीघा उपलब्ध होना अंकित किया है। अपीलार्थी भूमिहीन की परिभाषा में नहीं आते है। उपखंड अधिकारी जोधपुर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 1—8—02 के अनुसार विवादित आराजी वर्तमान में गौचर भूमि के रूप में दर्ज है तथा मौके पर खाई खोदकर रास्ता बंद किया गया है। जिला कलेक्टर जोधपुर ने सहायक कलेक्टर जोधपुर द्वारा गौचर भूमि की खातेदारी दिये जाने को विधि विरूद्ध माना है। सहायक कलेक्टर जोधपुर के प्रश्नगत आदेश दिनांक 2—1—79 के क्रम में नामांतरकरण सं. 75 दर्ज किया गया जिसे अतिरिक्त तहसीलदार लूणी ने दिनांक 16—6—92 को नामांतरकरण स्वीकृत नहीं कर खारिज कर दिया था। उक्त नामांतरकरण के विरूद्ध किसी प्रकार की चाराजोही सक्षम न्यायालय में किया जाना अपीलार्थी द्वारा अवगत नहीं कराया गया। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती है तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने अपीलार्थी द्वारा उठाये गये समस्त बिन्दुओं को विस्तृत विवेचन एवं विश्लेषण से निर्णित किया है। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी हमारे समक्ष ऐसा कोई नया तथ्य उजागर नहीं कर पाये जिसके आधार पर अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जा सके। 7— उपरोक्त विवेचन के आधार पर हस्तगत अपील एतद्द्वारा खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जाकर पत्रावली बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मदनलाल नेहरा)** **सदस्य**	